कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के अधिनस्थ कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में संदर्भ व्यक्ति (व्याख्याता समकक्ष) के पदों पर राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विषय–हिन्दी एवं समकक्ष पद के निम्नांकित अधिकारी/कार्मिकों का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :–

S.N.	EMP NAME/EMP ID/PRESENT POST	PRESENT POSTING PLACE	ALLOTED POST	OFFICE AND BLOCK	DISTRICT
1	OM PRAKASH RJBM201405021934 Lecturer (I Gr.)/Hindi Literature	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHATTU NAREWA BERA (220680)	Resource Person	Panyla kla	BARMER

संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि:–

1. सबंधित अधिकारी/कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण करावें।
2. जनगणना कार्य में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक को जनगणना हेतु प्राधिकृत अधिकारी की सक्षम स्वीकृति के उपरान्त ही कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति करवाया जावे।
3. जिन कार्मिकों का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
4. नव स्थानांतरित कार्मिक को कार्यग्रहण करवाया जाकर दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न होने पर पूर्व से उक्त पद पर कार्यरत कार्मिक को संबंधित नियुक्ति अधिकारी कार्यालय हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि कार्मिक ने उपप्राचार्य/प्राचार्य के पद पर यथास्थान कार्यग्रहण किया हुआ है, तो भी कार्मिक को संबंधित नियुक्ति अधिकारी कार्यालय हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
5. RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
6. समस्त प्रकार की प्रतिनियुक्ति (144–क)/साक्षात्कार/महात्मा गांधी राजकीय विधालय में कार्यरत कार्मिकों का स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति समाप्ति/प्रत्यावर्तन करते हुए किया गया है। अतः उक्त संबधित कार्मिकों को नवीन स्थानांतरित स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जाना सुनिशिचित करावें।

RajKaj Ref No.: 24065029

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-18 14:45:41 IST

v-1.0

7. लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त कार्मिकों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना करते हुए तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
8. मातृत्व अवकाश स्वीकृत कार्मिकों को अवकाश अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्यग्रहण करवाया जाकर आगामी कार्य दिवस में स्थानांतरित स्थान हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करावें।
9. सूची में यदि ऐसे कार्मिक है जिनकी सेवानिवृति/स्वैच्छिक सेवानिवृति/सेवा समाप्ति हो चुकी है, उनके संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। उक्त कार्मिकों के संबंध में अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करावें।

(ललित कुमार)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

क्रंमाक : शिविरा/मा/संस्था/सी–4/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2026 **दिनांक : यथाहस्ताक्षर**

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
05. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्यडाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
06. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
07. अनुभाग अधिकारी, शालादर्पण अनुभाग।
08. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शालादर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
09. संबंधित कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

RajKaj Ref No.: 24065029

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-18
14:45:41 IST

v-1.0